<u>प्रैस विज्ञप्ति</u>
<u>दिनांकः 11.05.2019</u>

<u>थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा जनपद गाजियाबाद से लूट की घटनाओ मे फरार/वांछित 25000 रुपये का पुरूस्कार घोषित अपराधी सूर्यप्रताप उर्फ विक्की मय अवैध अस्लाह कारतूस सहित गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री मनीष मिश्र के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री गोपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 11.05.19 को प्रभारी निरीक्षक खुर्जानगर श्री अरविन्द कुमार मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र मे देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति पहासू अड्डा पर मन्दिर के पास खडा है जिसके पास अवैध अस्लाह भी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक खुर्जानगर मय पुलिस टीम द्वारा तत्काल पहासू अड्डा पर मन्दिर के पास पहुँचकर घेराबन्दी कर अभियुक्त सूर्यप्रताप उर्फ विक्की (25000 रूपये का इनामी) को अवैध अस्लाह कारतूस सहित समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता</u>-

1- सूर्यप्रताप उर्फ विक्की पुत्र सुरेन्द्रपाल सिंह निवासी मौ0 मुरारीनगर कस्बा व थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी का विवरण</u>-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सूर्यप्रताप उर्फ विक्की शातिर किस्म का लुटेरा/चोर है, जो पूर्व में भी विभिन्न जनपदो से लूट/चोरी के कई मामलो मे जेल जा चुका है। अभियुक्त सूर्यप्रताप उर्फ विक्की जनपद गााजियाबाद के थाना खोडा पर पंजीकृत लूट/चोरी के 04 अभियोगो मे वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा 25,000 रुपये का पुरुस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त सूर्यप्रताप उर्फ विक्की के विरूद्ध विभिन्न जनपदो/थानो पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

<u>अभियुक्त सूर्यप्रताप उर्फ विक्की का आपराधिक इतिहास-</u>

1- मु0अ0सं0-1318/15 धारा 379,411 भादवि थाना सैक्टर-58 जनपद गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0-63/16 धारा 392,411 भादवि थाना सैक्टर-58 जनपद गौतमबुद्धनगर।
3- मु0अ0सं0-270/16 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना सैक्टर-58 जनपद गौतमबुद्धनगर।
4- मु0अ0सं0-1069/17 धारा 147,452,323,506 भादवि थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।
5- मु0अ0सं0-365/18 धारा 392,397,34 भादवि थाना खोडा जनपद गाजियाबाद **(वांछित)**
6- मु0अ0सं0-741/18 धारा 392 भादवि थाना खोडा जनपद गाजियाबाद **(वांछित)**
7- मु0अ0सं0-785/18 धारा 380 भादवि थाना खोडा जनपद गाजियाबाद **(वांछित)**
8- मु0अ0सं0-863/18 धारा 356 भादवि थाना खोडा जनपद गाजियाबाद **(वांछित)**

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अन्तर्गत धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. श्री अरविन्द कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जानगर
2. व0उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना खुर्जानगर
3. उ0नि0 विपिन कुमार थाना खुर्जानगर
4. का0 विनीत कुमार, का0चालक सुनील कुमार

प्रैस विज्ञप्ति

दिनांकः 11.05.2019

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के उपरान्त गैंगस्टर में फरार/वांछित 25,000 रुपये का इनामी अपराधी तनवीर अवैध अस्लाह सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 11.05.19 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री ध्रुव भूषण दुबे मय पुलिस फोर्स के देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग मे मामूर थे कि गश्त करते हुए मामन चुंगी पर पहुंचे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक 25,000 रूपये का पुरूस्कार घोषित अपराधी कालीनदी पुल शिकारपुर रोड से कब्रिस्तान की तरफ पैदल जा रहा है जिसके पास अवैध अस्लाह भी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पैदल जाता दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को रूकने को कहा तथा उसकी घेराबन्दी करने का प्रयास किया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए घेराबन्दी कर समय करीब 12.20 बजे अभियुक्त को अवैध अस्लाह सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- तनवीर पुत्र सनाउल्ला निवासी ग्राम नीमखेडा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व एक खोखा कारतूस।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त तनवीर शातिर किस्म का अपराधी है जो लूट आदि की घटनाओ मे जेल जा चुका है। अभियुक्त द्वारा संगठित अपराधिक गिरोह बनाकर अपराध कारित कर अपने निजी स्वार्थ के लिए भौतिक एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने के आशय से अपराध करने में सक्रिय रहने पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-277/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किया गया था जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा संपादित की जा रही थी। **इस अभियोग में अभियुक्त तनवीर लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रूपये का पुरुस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत है-**

अभियुक्त तनवीर के विरूद्ध पंजीकृत अभियुक्त-

1- मु0अ0सं0-1004/2018 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
2- मु0अ0सं0-1017/2018 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
3- मु0अ0सं0-1021/2018 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
4- मु0अ0सं0-1022/2018 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
5- मु0अ0सं0-277/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
6- मु0अ0सं0-383/2019 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
7- मु0अ0सं0-384/2019 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-383/19 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व मुअसं-384/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री ध्रुव भूषण दुबे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार
3. का0 सचिन कुमार, का0 अशोक कुमार, का0 विशाल, का0चालक मुकेश कुमार।